

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 664 / 2014 / चित्तौड़गढ़
अपील संख्या 665 / 2014 / चित्तौड़गढ़
अपील संख्या 666 / 2014 / चित्तौड़गढ़

मैसर्स बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
माधवनगर, चन्देरिया, चित्तौड़गढ़।

.....अपीलार्थी

बनाम्
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत्त-भीलवाडा।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक
श्री आर.के.अजमेरा,
अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 10 / 08 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा ये तीनों अपीलें अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-भीलवाडा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 32, 55, एवं 75(1) के तहत निम्नानुसार कर व ब्याज को यथावत रखा गया है।

क्र.सं.	अपील संख्या	अ.अ.का अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज
1.	664 / 2014	81 / वैट / 12-13	2006-07	2,15,342	1,59,354
2.	665 / 2014	82 / वैट / 12-13	2007-08	1,22,773	76,121
3.	666 / 2014	83 / वैट / 12-13	2008-09	3,96,651	1,98,327

2. चूंकि तीनों ही प्रकरणों के तथ्य समान है अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही हैं।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी सीमेन्ट के विक्रेता है, एवं उनके द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी के निर्माण हेतु कच्चा माल, स्पेयर पार्ट्स आयरन, एवं स्टील भी खरीदा जाता है, जिस पर सशक्त अधिकारी द्वारा अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.09.2008 द्वारा आई.टी.सी. स्वीकार किया गया। बाद में पुनः इसे केपिटल गुड्स

लगातार.....2

न मानकर कर निर्धारण आदेश पारित कर आई.टी.सी. को अस्वीकार करके कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.01.2014 द्वारा शास्ति को अपास्त करते हुए कर व ब्याज को यथावत रखा है। इस प्रकार कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें पेश की गयी है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी मुख्य रूप से सीमेन्ट के विक्रेता है, परन्तु उनके द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी के निर्माण हेतु कच्चा माल, स्पेयर पार्ट्स, आयर एवं स्टील खरीदा जाता है, जो कि केपिटल गुड्स का ही एक भाग है। अतः इस पर जो आई.टी.सी. मांगा है, वो उचित है। उन्होंने कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2010) 57 SALES TAX ADVICES 20 COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, JAIPUR vs RAJASTHAN SPINNING & WEAVING MILLS LTD., (H.C.) (2007) 9 VAT REPORTER 70 C.T.O., SPL. CIRCLE, AJMER vs SHREE CEMENT LTD., BEAWAR में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी मुख्य रूप से सीमेन्ट के विक्रेता है। उनके द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी के निर्माण हेतु कच्चा माल, स्पेयर पार्ट्स, आयरन एवं स्टील खरीदा जाता है, एवं आयरन व स्टील प्लांट मशीनरी का भाग नहीं है न प्रत्यक्ष रूप से प्लांट एवं मशीनरी है, तथा केपिटल गुड्स में सिर्फ प्लांट एवं मशीनरी ही आती है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी जो आई.टी.सी. अस्वीकार किया है, वा विधिसम्मत है। उन्होंने आगे अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। कर व ब्याज की देयता सम्बन्धी विधिक प्रावधानों पर विचार किया गया।

8. सर्वप्रथम केपिटल गुड्स पर आधारित अधिनियम की धारा 2(7) उद्धरित किया जाना उचित होगा, जो कि निम्न प्रकार है:-

2(7) "capital goods" means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Govt. from time to time in the Official Gazette;

9. इस प्रकार केपिटल गुड्स का मतलब "प्लांट एवं मशीनरी से है जिसमें उनके पार्ट्स एवं एसेसरीज भी शामिल है जो माल के उत्पादन में प्रयोग होते हैं। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के रेकार्ड के अनुसार कम्पनी ने स्वयं के जवाब में रूपये 53,83,544/- के आयरन एवं स्टील की खरीद Details of Iron & Steel Purchase and used for building the period April, 2006 to March, 2007 के दौरान प्रयोग करना दर्शाया है एवं ऑडिट रिपोर्ट में 1 लाख रूपये से अधिक की केपिटल गुड्स की खरीद में भी आयरन एण्ड स्टील की खरीद को शामिल नहीं किया है। इस प्रकार सशक्त अधिकारी द्वारा के प्लांट के निर्माण हेतु खरीदे गये कच्चे माल को प्लांट व मशीनरी न मानकर आई.टी.सी. को अस्वीकार कर, कर व ब्याज के बिन्दु पर जो आदेश पारित किया वह उचित प्रतीत होता है।
10. उक्त तथ्यात्मक विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवसायी प्लांट एवं मशीनरी के तहत चाहा गया आगत कर के लाभ का पात्र नहीं है। फलतः उक्त विवेचन के साथ अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।
11. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य